समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, जबलपुर (म.प्र.)

प्र.क्र. 2002-03 (43)

आवेदक : शंकर पटेल पुत्र स्व. कंधीलाल पटेल
निवासी ग्राम ~~[illegible]~~ [illegible] जबलपुर ।

रिव्यू 1106-IV/2003

बनाम

अनावेदकगण

1. बृज मोहन पटेल
2. देवी प्रसाद पटेल
पुत्रगण स्व. बद्री प्रसाद पटेल (कृषक)
निवासी ग्राम पोलीपाथर ग्वारीघाट रोड
जबलपुर (म.प्र.)
3. मृतक रामकली बाई पटेल पत्नी
तेजी लाल पटेल [illegible]
4. तुलसा बाई पटेल पत्नी छिलकन प्रसाद पटेल
5. सरोजनी बाई पटेल पत्नी राजकुमार पटेल
सभी निवासी ग्राम पिंडरई तहसील व
जिला जबलपुर म.प्र.
6. रतन बाई पटेल पत्नी अनंदी लाल पटेल
7. माया बाई पटेल पत्नी रज्जू पटेल
दोनों निवासी मिल्ट्री डेरी फार्म
डिफेंस, गोरखपुर
8. गोवर्धन पटेल
9. गनेश पटेल
दोनों आत्मज स्व. श्री कंधीलाल पटेल
निवासी रामपुर, जबलपुर
10. मुरलीधर प्यासी आत्मज रघुवर प्रसाद प्यासी
निवासी गुप्तेश्वर, जबलपुर (फौत)

जबलपुर कैम्प पर
दिनाँक 23-7-03 को श्री [illegible]
अभि० द्वारा प्रस्तुत।
[illegible]
23-7-03
रीडर

1. तेजीलाल पिता दल्लू - [illegible]
2. [illegible] तेजीलाल - पुत्र
3. [illegible] तेजीलाल - पुत्र
4. [illegible] पति इन्द्रकुमार - पुत्री
5. [illegible] पिता तेजीलाल - पुत्री
6. [illegible] तेजीलाल - पुत्री
सभी [illegible] ग्राम पिंडरई
तहसील [illegible] जबलपुर
7. [illegible] राजकुमार [illegible] पुत्री
नि. ग्राम [illegible], तहसील [illegible] जिला
जबलपुर

Amended as per order
Dt. 20.6.13

COMMISSIONER JABALPUR Smt. D. Patel 23-7

आवेदन अंतर्गत धारा 51 पुनरावलोकन (Review) (भू.रा.सं. 1959.

आवेदक माननीय राजस्व मंडल के समक्ष प्र.क्र. निगरानी 1968 पांच/99 में पारित आदेश दिनांक 20 जून 2003 से परिवेदित होकर यह पुनरावलोकन आवेदन निम्नांकित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

...2..

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

शॅकर पटैल ग्राम चौखड़ा जबलपुर विरूद्व ब्रजमोहन पटैल एंव अन्य जबलपुर

प्रकरण कमांक 1106–।।।/2003 पुनरावलोकन जिला जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3-8-2016 | तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1968–पांच/1999 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–6–03 के पुनरावलोकन हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत होने पर यह प्रकरण पंजीबद्व हुआ है।<br>2/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने एंव माननीय उच्च न्यायालय व्दारा रिट पिटीशन नंबर 20055/2015 में पारित आदेश दिनांक 27–11–15 एंव MCC No. 3597/2015 (in W.P.No. 20055 of 2015) में दिये गये आदेशानुकम में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि राजस्व मंडल के समक्ष विचार का बिन्दु यह था कि अपर आयुक्त जबलपुर संभाग ने जो abetment का आदेश दिया था प्रत्यर्थी कमांक 1 से 7 ने बद्रीप्रसाद की मृत्यु पर बारिसान के रूप में समाहित किये जाने एंव अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करते हुये अपील को पुनः नम्बर पर लेने की मांग थी परन्तु राजस्व मण्डल ने आदेश दिनांक 20–6–03 से प्रकरण गुणदोष पर निराकृत कर दिया और यह पुनरावलोकन के लिये सशक्त आधार है।<br>4/ तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1968–पांच/1999 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–6–03 के अवलोकन से स्थिति यह है कि इस आदेश के पद–5 में मृतक बद्रीप्रसाद के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है एंव | |

 रिव्यू-1106-IV/03

अपर आयुक्त व्दारा स्वर्गीय बद्रीप्रसाद के वारिसान को रिकार्ड पर न लेने वावत् लिये गये निर्णय को उचित नहीं माना है। जहॉं तक अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किये जाने का प्रश्न है ? तत्का0 सदस्य राजस्व मण्डल व्दारा प्र0क0 1968–पांच/1999 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–6–03 के पद 5 में लायन नम्बर 15 से लेकर लायन नंबर 22 तक इस प्रकार अंकन किया है :–

**" आवेदकगण के विद्वान अभि0 व्दारा मुख्य तर्क यह भी दिया गया कि प्रकरण को करीब चलते हुये 25 वर्ष हो गये हैं और न्याय मिलने में काफी विलम्ब हो चुका है इसलिये राजस्व मण्डल की संहिता की धारा 50 में पुनरीक्षण की शक्तियों का उपयोग कर न्याय दिलाया जाए। विद्वान अभि0 ने 1986 रा0नि0 1 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर पुनरीक्षण की शक्तियां बहुत विस्तृत हैं न्यायालय न केवल विवादित आदेश बल्कि– अधीनस्थ राजस्व पदाधिकारी व्दारा पारित ऐसे आदेश जिससे कि पक्षकार परिवेदित हों, की बैधता का भी परीक्षण किया जा सकता है। "**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल ने आवेदकगण की मॉंग पर अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का संपूर्ण परीक्षण कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया है जिसके कारण रिव्यु में लिया गया उक्तानुसार आधार स्वीकार योग्य नहीं रहता है क्योंकि तदाशय की मांग/आपत्ति उभय पक्ष को तत्समय प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त था इसी कारण यह आधार रिव्यु किये जाने हेतु पर्याप्त आधार होना नहीं माना जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन सशक्त न होकर आधारहीन होने से अमान्य किया जाता है जिसके कारण तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1968–पांच/1999 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20–6–03 यथावत् रहता है।

सदस्य